

न्यायालय तहसीलदार, गंगापूर सिटी जिला-गंगापूर सिटी

मु.नं. : 21/2024	तारीख रजू 21.05.2024	निर्णय दिनांक 30.05.2024
------------------	----------------------	--------------------------

सरकार बनाम मजहर

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हिगोटियां ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि मजहर पुत्र सरफूद्दीन जाति मुसलमान निवासी गंगापूर सिटी ने ग्राम हिगोटिया के खसरा नं. 443 में कुल रकबा 0.10 है 0 किस्म गै0मु0 नाला पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से पुराना कब्जाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब इस आशय पेश किया कि प्रार्थी को नोटिस गलत जारी किया गया है जबकि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं है। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।


उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा भी अपने जवाब में उक्त भूमि में कोई निर्माण नहीं करना अवगत कराया है। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा ख0नं0 443 रकबा 0.10 है 0 किस्म गै0मु0 नाला को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अन्य भूमि में मिला लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावे एवं इन पर लगान 0.31/- की 50 गुना शास्ति 16/-रुपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवे। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर "घ" के पेज संख्या
पर रुपये 16/- की कायमी वर्ष
2024-25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार


(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापूर सिटी